संख्या-867 /XXIV(1)/2017–15/2011 टी0सी0–01

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 13 नवम्बर, 2017

विषयः प्राथमिक (I-V) एवं उच्च प्राथमिक(VI-VIII) विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) आयोजित किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 04 मार्च 2016 में न्यूनतम अर्हता अंक में संशोधन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–163 दिनांक 04 मार्च, 2016 के प्रस्तर–4(3) में न्यूनतम अर्हता अंक (Qualifying Marks) में अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत निर्धारित की गयी। उपरी उल्लिखित शासनादेश संख्या–163 दिनांक 04 मार्च, 2016 के प्रस्तर–4(3) में न्यूनतम अर्हता अंक से सम्बन्धित पूर्व प्रचलित व्यवस्था में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों (स्वयं) हेतु भी न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत की व्यवस्था को अतिरिक्त रूप से शामिल किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– अतः शासनादेश संख्या–163/XXIV(1)/2016-15/2011 दिनांक 04 मार्च, 2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढा जाय।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

सं0– / XXIV(1)/2017–15/2011 टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, देहरादून।
2–निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3–सचिव/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर(नैनीताल)
4–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

Scanned by CamScanner